**कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून**

वैभव पैलेस, सी-1/105, इन्दिरा नगर, देहरादून-248006

सं. : स्था.नि./प्रतिवेदन संख्या-07/2016-17/

दिनांक : /07/2016

**सेवा में,**

**अधिशासी अधिकारी,**

**नगर पंचायत, गौचर**

**जनपद- चमोली**

**विषय : नगर पंचायत, गौचर का वर्ष 2013-14 से 2015-16 तक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।**

महोदय,

आपके कार्यालय का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पेषित कर यह अवगत कराना है कि प्रतिवेदन के भाग-4 (ब)-1 में एक प्रस्तर एंव भाग -4 (ब)-2 में तीन प्रस्तर हैं। इन प्रस्तरों को भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली की वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन (Annual Technical Inspection Report) (ATIR) में सम्मिलित किया जाना सम्भावित है। भाग-4 (ब)-1 के सभी प्रस्तरों की प्रतिपालन आख्या सचिव एवं भाग-4 (ब)-2 के सभी प्रस्तरों की प्रतिपालन आख्या अपने उच्चतर अधिकारी के माध्यम से भेजा जाना अनिवार्य है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन की प्रथम प्रतिपालन आख्या इनकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर संलग्न प्रारूप में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : 1 प्रतिवेदन की प्रति

2. प्रतिपालन आख्या का प्रारूप

भवदीय

**वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय**

सं. स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या 07/2016-17/ दिनांक : /07/2016

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1- सचिव, शहरी विकास उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को भाग-4 (ब)-1 के प्रस्तर संख्या 1 की एक प्रति।

2- निदेशक, शहरी विकास निदेशालय उत्तराखण्ड, 43/6 माता मन्दिर, धर्मपुर, देहरादून

3- निदेशालय, लेखापरीक्षा (आडिट) निदेशालय, द्वितीय-तल, आयुक्त कर भवन, जोगीवाला, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून, पिन कोडः 248005

**वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय**

**कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून**

**भाग-एक**

**वर्ष 2016-17 के लिये नगर पालिका परिषद, गौचर, चमोली पर निरीक्षण प्रतिवेदन**

यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक (क.श.एवं.से.श.) अधिनियम, 1971 की धारा 20 (1) के अन्तर्गत सम्पन्न की गयी है

(अ) संप्रेक्षावधि मे कार्यरत शहरी निकाय अध्यक्ष तथा कार्यकारी अधिकारी का नाम तथा पदनाम

श्री मुकेश नेगी - अध्यक्ष नगर पालिका परिषद

श्री डी.सी.पंत अधिशासी अधिकारी

(ब) संप्रेक्षा सदस्यों के नाम तथा पदनाम

(i) श्री सतेन्द्र कुमार, स.ले.प.अ.

(ii) श्री हिंमाशु शर्मा, स.ले.प.अ.

(स) संप्रेक्षा तिथि 07.05.2016 16.05.2016 तक

(द) संप्रेक्षा में आच्छादित अवधि:- 2013-14 से 2015.16

**भाग-दो**

**परिचयात्मक :**

पंचायतीराज संस्था का नाम : **नगर पंचायत- गौचर, जिला- चमोली** (अ) उपरोक्त यदि जिला पंचायत है तो क्षेत्र पंचायतों तथा ग्राम पंचायतों की संख्या : -

(ब) उपरोक्त यदि क्षेत्र पंचायत है तो ग्राम पंचायतों की संख्याः

भौगोलिक क्षेत्र : - 5.39 वर्ग कि.मी.

जनसंख्या : 8864

1- निर्वाचित सदस्यों की संख्या : 07

2- (अ) पंचायत द्वारा आयोजित बैठकों की संख्याः 10

3- (ब) उपसमितियों,स्थायी समितियों की संख्या तथा प्रत्येक आयोजित बैठकों की संख्या:- शून्य

4- बैठक :

5- कर्मचारियों की संख्या : - 09

6- पंचायतराज की सम्पतियां : -

7- पंचायतराज के अपने प्रोजेक्ट : -

8- योजनाओं की संख्या :-

9- (अ) सामाजिक संरक्षा : -

(ब) रोजगार सृजन से सम्बन्धितः -

(स) वर्ष के दौरान पूर्ण की गयी योजनायें: -

(द) लाभार्थियों की संख्या:

10- वर्ष के दौरान कर, रेट्स ड्यूटी चुंगी आदि की वसूली तथा बकाया राशि :

11- वर्ष के दौरान कुल व्यय :-

(अ) सामान्यः -

(ब) योजनाओं पर (प्रत्येक योजना का अलग-अलग दर्शाया जाये) एवं संलग्नक के रूप में लगाया जाये।

12- क्या वार्षिक योजनाओं एवं बजट पर निर्वाचित निकाय द्वारा चर्चा की गयी तथा उसे पारित किया गया है-

**भाग-4 (अ)**

(क) परिचयात्मकः- कार्यालय **नगर पंचायत- गौचर** के लेखा/अभिलेखों की वर्ष 2013-14 से 2015-16 तथा की सम्प्रेक्षा श्री सतेन्द्र कुमार स.ले.प.अ. एंव श्री हिंमाशु शर्मा स.ले.प.अ. द्वारा दिनांक 07.05.2016से 16.05.2016 कर सम्पादित कि गयी।

(ख) विगत प्रतिवेदनों के बकाया प्रस्तरों की स्थितिः- शून्य

यह इकाई की प्रथम लेखा परीक्षा है।

| **लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0** | **प्रस्तर भाग-4 (ब)-2 (अ )** | **प्रस्तर भाग-2 (ब )-2** |
|---|---|---|

(i) महालेखाकार कार्यालय के लम्बित प्रस्तर

| | |
|---|---|
| शून्य | 1 |

| **प्रतिवेदन संख्या वर्ष** | **भाग** |
|---|---|
| | **प्रस्तरों की संख्या** |

(ii) स्थानीय निधि लेखापरीक्षा के लम्बित प्रस्तर

(ग) सतत अनियमितताओं की सूची शून्य

(घ) अप्रस्तुत अभिलेख शून्य

**भाग 4(ब)-1**

**प्रस्तर 1:- ` 44.95 लाख की लागत से बनने वाले बस/टैक्सी स्टैण्ड का निर्माण कोटेशन के आधार पर किया जाना एवं स्टेण्ड़ का अनुपयोगी रहना।**

वित्तीय नियमों एवं उत्तराखण्ड़ अधिप्राप्ति नियमावली के नियम 27(1) के अनुसार किसी इकाई द्वारा कराये जाने वाले कार्य पर व्यय की जाने वाली धनराशि के अनुसार टेण्ड़र किया जाना चाहिए जिससे उस कार्य में पारदर्शिता एवं प्रतिस्पर्धा दरों का लाभ लिया जा सकें एवं ठेकेदार को समझौता ज्ञापन के आधार अच्छी क्वालिटी एवं एक साल तक के रख-रखाव के लिये बाहर किया जा सकें।

इकाई के वित्तीय वर्ष 2007-08 की पत्रावली की जाँच में पाया गया कि ` 44.95 लाख की लागत से बस/टैक्सी स्टेण्ड़ का निर्माण कार्य कराया गया। उक्त निर्माण कार्य हेतु कार्यालय द्वारा खुली निविदा आंमत्रित की जानी चाहिए लेकिन कार्यालय के द्वारा उक्त कार्य कोटेशन के आधार पर काराया गया जोकि एक गम्भीर अनियमितता को दर्शाता है साथ ही व्यक्ति विशेष को फायदा पहुचाते की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता है। साथ ही लगभग नौ वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात न ही इसका उपयोग किया जा रहा और न ही इससे किसी तरह के शुल्क की वसूली की जा रही है। इस प्रकार बस/टैक्सी स्टैंण्ड़ का उपयोग जनहित में नही किया जा रहा है।

इसे इंगित किये जाने पर कार्यालय द्वारा बताया गया कि सीमित समयावधि के कारण टेण्ड़र नहीं किया गया उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उक्त कार्य न ही अतिआवश्यक था और न ही इस तरह के कार्यों के लिये वित्तीय नियमों में कोई ढील दी गई है।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

**भाग 4(ब)-2**

**प्रस्तर 1:- वित्तीय वर्ष 2015-16 के अन्त तक ` 6.39 लाख की राशि भवन किराया के रुप में लम्बित रहना।**

वित्तीय नियमों के अनुसार कार्यालय को प्राप्त होने वाले किराये कर एवं शुल्क की वसूली होने वाले किराये कर एवं शुल्क की वसूली उसी माह में कर लिया जाना चाहिए जिससे कि उस धनराशि को जनहित के कार्यों में खर्च किया जा सकें।

कार्यालय नगर पालिका परिषद गौचर के भवन किराया सम्बन्धी पत्रावली की जाँच में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2015-16 के वर्षान्त तक कुल ` 6,39,218/- की धनारशि की वसूली लम्बित थी। एवं उक्त धनराशि की वसूली के सम्बन्ध में कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है।

इसे इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि वसूली शीघ्र कर ली जायेगी इकाई का उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि कार्यालय के द्वारा इस सम्बन्ध में कोई विशेष प्रयास एवं नोटिस जारी नहीं किया गये है।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

**भाग 4(ब)-2**

**प्रस्तर 2:- इकाई द्वारा ` 1,51,220/- भवन कर वसूली एवं ` 11,470/- लाईसेंस शुल्क के रुप में लम्बित रहना एवं करों/शुल्कों में संशोधन न किया जाना।**

वित्तीय नियमों को ध्यान में रखते हुये निकायों द्वारा आरोग्य विविध करों/शुल्कों की वसूली वर्षान्त तर पूर्णरुपें होनी चाहिए जिससे निकायों द्वारा जनहित एवं विकास कार्यों में अधिकाधिक योगदान किया जा सके एवं साथ ही निकायों के निजी आय स्रोतों की स्थिति सुद्रढ हो सकें और उनकी सरकार पर निर्भरता कम हो सके।

कार्यालय नगर पालिका परिषद गौचर के भवन कर एवं लाईसेंस शुल्क से सम्बन्धित लेखाभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि निकाय द्वारा भवन कर एवं लाईसेंस शुल्क वर्तमान में जिन दरों के आधार पर वसूली जा रहा है उनसे सम्बन्धित निर्धारक आदेश लेखा परीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया एवं साथ ही निकाय द्वारा प्रत्येक पाँच वर्ष की अवधि पर करों/शुल्कों में संशोधन किया जाना चाहिए जो निकाय द्वारा अनुपालित नहीं किया जा रहा है जिससे निकाय के निजी आय स्रोतों की स्थिति दुर्लब है और उसकी सरकार पर निर्भरता कम करने का उक्त विकल्प निष्क्रिय प्रतीत होता है।

निकाय द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 तक भवन कर के रुप में ` 1,51,220/- एवं लाईसेंस शुल्क के रुप में ` 11,470/- वसूली किये जाने अवशेष थे जो करों एव शुल्कों को निर्धारित समय से निकाय द्वारा वसूले जाने के प्रति निकाय की शिथिलता को दर्शाता है।

लेखा परीक्षा द्वारा पूछे जाने पर इस सम्बन्ध में इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि बकायेदारों से उक्त धनारशि की वसूली यथाशीघ्र कर ली जायेगी। इकाई का उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि करों/शुल्कों की वसूली निर्धारित समयाविधि में ही होनी चाहिए ताकि निकाय द्वारा अपने निर्धारित उद्देशयों को तय समयावधि में पूर्ण किया जा सके।

अतः इकाई द्वारा ` 1,51,220/- भवन कर वसूली एवं ` 11,470/- लाईसेंस शुल्क वसूली के रुप में लम्बित रहने एवं करों/शुल्कों में संशोधन न करने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

**भाग 4(ब)-2**

**प्रस्तर 3:- वित्तीय वर्ष 2012-13 से 2015-16 तक विभिन्न खातों से ब्याज के रुप में धनराशि ` 6.07 लाख को राजकोष में जमा न किया जाना।**

उत्तराखण्ड़ शासन के पत्रांक -347/वि.आ.निदे. (तृ.रा.वि.आ.)/2013 दिंनाक 17.01.2013 के अनुसार विभिन्नि स्रोतों से प्राप्त धनराशि पर आरोप्य धनराशि को अविलम्ब राजकोष में जमा किया जाना चाहिए।

नगर पालिका परिषद गौचर के लेखा अभिलेखों की नमूना जाँच में यह पाया गया कि इकाई को वित्तीय वर्ष 2012-13 से 2015-16 तक विभिन्न खातों से ब्याज के रुप में प्राप्त ` 6,06,861/- की धनराशि इकाई के खातों में ही लम्बित पडी है जिसका विवरण निम्नानुसार हैः-

| क्र.सं. | बैंक का नाम | दिंनाक | ब्याज का धनराशि (` में) |
|---|---|---|---|
| 1. | स्टेट बैंक आफ इण्डिया | 30.06.12 | 11,558.00 |
| 2. | स्टेट बैंक आफ इण्डिया | 31.12.12 | 8,523.00 |
| 3. | स्टेट बैंक आफ इण्डिया | 30.06.13 | 5,796.00 |
| 4. | स्टेट बैंक आफ इण्डिया | 31.12.13 | 4,254.00 |
| 5. | स्टेट बैंक आफ इण्डिया | 30.06.14 | 5,981.00 |
| 6. | स्टेट बैंक आफ इण्डिया | 31.12.14 | 4,675.00 |
| 7. | स्टेट बैंक आफ इण्डिया | 25.06.15 | 4,874.00 |
| 8. | स्टेट बैंक आफ इण्डिया | 25.12.15 | 5,217.00 |
| 9. | सेण्ट्रल बैंक आफ इण्डिया | 30.11.13 | 23,372.00 |
| 10. | सेण्ट्रल बैंक आफ इण्डिया | 31.05.14 | 46,460.00 |
| 11. | सेण्ट्रल बैंक आफ इण्डिया | 30.11.14 | 59,105.00 |
| 12. | सेण्ट्रल बैंक आफ इण्डिया | 31.05.15 | 70,840.00 |
| 13. | सेण्ट्रल बैंक आफ इण्डिया | 30.11.15 | 73,796.00 |
| 14. | स्टेट बैंक आफ इण्डिया | 31.12.12 | 8,216.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15. | स्टेट बैंक आफ इण्डिया | 30.06.13 | 8,245.00 |
| 16. | स्टेट बैंक आफ इण्डिया | 31.12.13 | 8,548.00 |
| 17. | स्टेट बैंक आफ इण्डिया | 30.06.14 | 8,578.00 |
| 18. | स्टेट बैंक आफ इण्डिया | 25.12.14 | 8,603.00 |
| 19. | स्टेट बैंक आफ इण्डिया | 25.06.15 | 8,968.00 |
| 20. | स्टेट बैंक आफ इण्डिया | 25.12.15 | 9,194.00 |
| 21. | पंजाब नेशनल बैंक | 09.09.15 | 38,043.00 |
| 22. | पंजाब नेशनल बैंक | 06.03.16 | 41,141.00 |
| 23. | उत्तराखण्ड़ ग्रामीण बैंक | 31.12.14 | 47,792.00 |
| 24. | उत्तराखण्ड़ ग्रामीण बैंक | 30.06.15 | 87,825.00 |
| 25. | उत्तराखण्ड़ ग्रामीण बैंक | 31.12.15 | 7,257.00 |
| | **कुल योग** | | **7,257.00** |

इकाई द्वारा उपर्युक्त ब्याज की धनारशि को राजकोष मे जमा नहीं किया जा रहा है जो इकाई द्वारा कृत वित्तीय अनियमितता को दर्शाता है।

इस सम्बन्ध में इकाई द्वारा भविष्य में अनुपालन सुनुश्चित करने का उत्तर दिया गया। उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि इकाई द्वारा उक्त धनराशि को यथाशीघ्र राजकोष में जमा करा दिया जाना चाहिए था।

अतः वित्तीय वर्ष 2012-13 से 2015-16 तक विभिन्न बैंक खातों से ब्याज के रुप में प्राप्त धनराशि ` 6,06,861/- को राजकोष में जमा न कर इकाई के खातों में लम्बित रखने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

## <u>भाग-4, अनुभाग (स)</u>

सामान्य एवं प्रक्रियात्मक अनियमिततांए जिनका समाधान कार्यस्थल पर नहीं हो सका उन्हें निरीक्षण टिप्पणी में सम्मिलित कर लिया गया है जिसकी प्रति नगर आयुक्त, **नगर निगम गौचर** को इस आशय से प्रेषित की गयी हैं कि इसकी अनुपालन आख्या प्राप्ति के एक माह के अन्दर वरि. उपमहालेखाकार/स्थानीय निकाय, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून को भेजना सुनिश्चित करें।

**वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ स्थानीय निकाय**